


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौ

फर्द अहकाम

दिनांक

17¹²/₂₄ पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगन किबा गया है अतः पत्रावली पूरा करानुसार दिनांक.....को पेश हो 
10-3-23

10³/₂₅ पत्रावली जैसा हुई। वादी व वादी के वकील उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण के वादी व वादी वकील को बार-बार अनाप लगावले जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। अतः जाद्वि उँ छे प्रकरण को वादी व वादी वकील को नालाके रखने के रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः उ. नं. 953/2021 दावा दोस्ताने वॉ. वनाम पतर (हिंड) अदालत फेरवी व अदालत इजिरी के खारिज की जाती है।

पत्रावली जैसल शुमार की जाकि सम्बन्धान ले कम करते हुए रिजि फर्दर है।

